

MR. SPEAKER: Nothing is going on record. Whatever they say without my permission will not go on record. They are infringing the rules of the House.

(Interruptions)**

MR. SPEAKER: This is an insinuation. It is not going on record.

(Interruptions)**

MR. SPEAKER: For me everybody is equal. Every man is a man. I do not discriminate.

(Interruptions)**

MR. SPEAKER: This is most baseless.

(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Nothing is going on record. Nothing will go on record without my permission. आप क्या कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं। मत कीजिए—मत करिए—कोई तरीका है।

(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मदस्य-गण ऐसा है कि

(व्यवधान)**

12.15 hrs.

RE. DISCUSSION ON SITUATION IN GUJARAT

. . . (व्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, यह क्या कर रहे हैं . . . (व्यवधान) अगर हम थोड़ा-बहुत भी सोचें तो मेरे ख्याल में सारा काम सीधा चल सकता है . .

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : दोनों तरफ से होता है . . .

अध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ से होता है, आप आपस में वाक-बुद्ध करते रहते हैं . . .

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम आपस में बात कर रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : आपस में क्यों बात कर रहे हैं। मेरे से बात कीजिए। उनको क्यों कहते हैं और क्यों वह आप को कहते हैं . . . (व्यवधान) . .

श्री मनोराम बागडो (हिसार) : यह सदन की गरिमा की बात है . . .

अध्यक्ष महोदय : यह गरिमा सिर्फ गरिमा रह जायगी, बाकी इस में कुछ नहीं रह जायगा, भार उतर जायगा। जिस तरह में एक समस्या हाउस के सामने आई है, उसको ठीक तरह में कैम पार करना है—यह मोचना चाहिए और इम के लिए रास्ते भी है। जब सारा हाउस यह तय कर ले कि हमें एक मत में करना है, तो उसके लिए अच्छा माधन तलाश कर लेना चाहिए और वह नियम 184 है। उस में आप रेजोल्यूशन भी सर्व-सम्मति से पास कर सकते हैं और उस में अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं जिसे से कि सारा महील ठीक ही। आप को पता है कि यह चाँज ऐसा है जिस को अगर नजरअन्दाज कर देंगे तो आने वाली नस्ले आप को जिम्मेदार ठहरायेंगी। यह आप को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और सब बातों को देख कर हमें करना चाहिए।

इस लिए मैं चाहता हूँ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इस को निर्धारित कर लेंगे और उस में आप के रेजोल्यूशन पर भी, कि सर्व-सम्मति से पास हो, विचार कर लिया जायगा। आप का कालिग एटेंशन भी 184 में आ जायगा। उसी में रेजोल्यूशन भी सर्व-सम्मति से पास हो जायगा और उस में आप अपने भाव भी व्यक्त कर लीजिए।

[अध्यक्ष महोदय]

आप 5 के बजाय 6 घण्टे लगा लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

... (व्यवधान) ...

मनीराम जी चाहते हैं कि रेजोल्यूशन बगैर किसी बात के सर्व-सम्मति से पास कर दें ...

एक माननीय सदस्य : ऐसा असम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों असम्भव कहते हैं? आप मेरी बात को सुनते नहीं हैं ... मेरी बात को सुनिए ... (व्यवधान) सवाल इतना है कि रेजोल्यूशन को कैसे पास करना है? उस का कोई तरीका आना चाहिए। आप के कहने से ही तो पास नहीं हो जायगा, सारा हाउस कहेगा जब पास होगा ...

श्री मनी राम बागड़ी : सारा हाउस कह रहा है। ऐतराज किसी को नहीं है ... (व्यवधान) ... इधर में भी लोग कह रहे हैं, उधर में भी कह रहे हैं ... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : इसी लिए मैं कहता हूँ—उस का तरीका यह है कि बहस हो। सरकार की तरफ से भी मुझसे आये और आप की तरफ से भी आये कि पास हो। अगर आप ऐसा ही पास कराना चाहते हैं तो सारा हाउस उन्हें ही नहीं, बल्कि सरकार के पास करना चाहते हैं, तब मुझे कोई ऐतराज नहीं है, इस को अभी पास कर देते हैं ...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम लोग इस पर डिस्कशन चाहते हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं आप को एक बात बतलाता हूँ—आप समझ लीजिए।

जब चीन का हमला हुआ था, उस वक़्त फौरी-तौर-पर सारी लोक सभा ने खड़े हो कर प्रस्ताव पास किया था, उसी तरह से इस को भी सर्व-सम्मति से पास करें। इस प्रस्ताव को दो-हफ्ते किया जा सकता है—इस आन्दोलन की निन्दा, हरिजनों और अकलीयतों का तहफूज और रिजर्वेशन कायम रहेगा—यही इस में है। आप अपना रखो या इस को रखो, लेकिन फौरी-तौर-पर सर्व-सम्मति से पास कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सरकार के सदन का क्या होगा? सरकार जो ज्यादाती कर रही है उसका क्या होगा?

श्री मनी राम बागड़ी : यह प्रस्ताव तो निन्दा का है ... (व्यवधान) ... इस को फौरी-तौर-पर सदन में पास कर सकते हैं ... मैं तो यह चाहता हूँ कि सदन प्रस्ताव पास करे और अगर ऐसा वह नहीं करता है तो यह सदन की गरिमा की हत्या है। कौन आदमी है जब इस सवाल के ऊपर दो राय रखता है। वहाँ पर शान्ति होना चाहिए और हरिजनों का रिजर्वेशन करने रहना चाहिए, इस के खिलाफ कौन है?

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो जाएगा।

श्री मनी राम बागड़ी : सारा हाउस इस बात को कह रहा है। इसलिए इस को अभी पास करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस को आप पास कर दें और बहस चलाते रहिए और अपने काम करते रहिए। वहाँ पर लोग मर रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : सारे हाउस को इस को पास करना चाहिए। मेरे अकेले के कहने से यह नहीं हो सकता और न आप के

प्रकेले के कहने से यह हो सकता है। सारा हाउस इस को पास करने के लिए कहे। आप का रेजोलूशन आज ही हो जाएगा अगर हाउस कह दे।

श्री मनीराम बागड़ी : सारा हाउस इस बात को कह रहा है। आप ने कहा था कि क्वेश्चन आवर के बाद यह होगा। आप ने कहा था न ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कर तो रहा हूँ। मैं इस में और क्या करूँ।

श्री मनी राम बागड़ी : आप कहाँ कर रहे हैं। आप तो और काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह कर रहा हूँ। यह फ़ैसला हो गया है कि नियम 184 में यह आ जाएगा। आज फ़ैसला कर के इस को कर देंगे। अब इस में और कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बागड़ी जी से निवदन करूँगा। (व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : जो इस समय भावना है, उसमें यह प्रस्ताव आज पास हो जाए। कानून के चक्कर में मत पड़िए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारा हाउस इस बात को मान गया है।

I have withdrawn the Calling Attention Motion. I have admitted discussion under Rule 184. I am allowing the Business Advisory Committee to allot any number of hours. Now, papers to be laid...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ठीक है।

12.22 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT ON THE WORKING OF ADMINISTRATION COMPANIES ACT, 1956 AND NOTIFICATION CORRECTING GSR NUMBER OF COMPANIES (ACCEPTANCE OF DEPOSITS) AMENDMENT RULES 1978.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) for the year 1979-80 on the working and administration of the Companies Act, 1956, under section 638 of the said Act. [Placed in Library See No LT-2112/81].

(2) A copy each of Notification Nos. G.S.R. 418(E) published in Gazette of India dated the 16th July, 1980 English version) and G.S.R. 515(F) published in Gazette of India dated the 5th September, 1980 (Hindi version) correcting G.S.R. number of the Companies, (Acceptance of Deposits) Amendment Rules † 1978 published in Gazette of India dated the 30th March, 1978, under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956. [Placed in Library. See No. LT-2113/81].

COMPTROLLER AND A.G. OF INDIA REPORT 1979-80 ON UNION GOVERNMENT (CIVIL) REVENUE RECEIPTS VOL. I INDIRECT TAXES AND VOL. II DIRECT TAXES.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): I beg to lay on the Table of copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1979-80, Union Government (Civil) Revenue Receipts—Volume I—Indirect Taxes and Volume II—Direct Taxes, under article 151(1) of the Constitution. [Placed in Library. See No. LT-2114/81].